



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KANPUR
प्रशासनिक विभाग
ADMINISTRATION SECTION

No. Estt./OO/2009/IITK/ 405
Date : April 08, 2009

OFFICE ORDER


Sub: Granting the Festival Advance to the eligible employee/s on regular Pay Scale at once in a Financial Year 2009-10

Consequent upon the approval of Competent Authority of the Institute, the **Festival Advance/s** granted to the eligible employee/s on regular pay scale of the Institute on different occasions of the festivals such as **Holi / Dussehra / Dewali / Idu'l Fitr / Bakrid /Christmas Day** shall be granted only once in the month of April 2009.

The **Festival Advance i.e Rs. 3000/- shall be transferred to the Bank Accounts of all eligible employees** on regular pay scale whose **Grade Pay does not exceed to Rs. 4800/-** (as per the norms for eligibility of the employee for the said advance) **in the month of the April 2009, which will be recovered by the February 2010.**

The recovery of Festival Advance in respect of the employees, who have availed this advance in the previous financial year 2008-09, **shall be adjusted by the Accounts Section** while granting the Festival Advance for the current financial year 2009-10.

The employee/s who are not interested to avail the said advance may send a request to this effect to the Accounts Section by 24.04.2009.


R K Sachan
Dy. Registrar (Admin.)

Copy to:

1. Director
2. Dy. Director
3. Registrar
4. Web Master
5. Notice Boards
6. Dy. Registrar (F&A)- For necessary action Please .

Aks/-



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPUR
प्रशासन विभाग
ADMINISTRATION SECTION

पा. आई.आई.टी. कानपुर -208016 (उ.प्र), भारत
PO. IIT KANPUR-208016 (UP), INDIA

सं० स्था.(००)/ २००९/भा.प्रौ.सं.का/ ४०५
दिनांक: अप्रैल ०८ , २००९

कार्यालय आदेश

विषय : नियमित वेतनमान पर संस्थान में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को त्यौहार के अग्रिम राशि को वित्तीय वर्ष २००९-१० में एक ही बार अप्रैल माह में देने के सन्दर्भ में

संस्थान के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के आधार, पर यह सूचित किया जाता है कि नियमित वेतनमान पर संस्थान में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को होली / दिपावली/ ईद-उल-फितर / बकरीद / क्रिसमस-डे जैसे विभिन्न त्यौहारों को दिये जाने वाले अग्रिम राशि को वित्तीय वर्ष २००९-१० में एक ही बार अप्रैल माह में दिया जायेगा।

नियमित वेतनमान पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को, जिनकी ग्रेड-पै रु.4800/- (छठे वेतनमान के अधार पर तथा उक्त त्यौहार अग्रिम की पात्रता के अनुरूप) से अधिक न हो, त्यौहार की अग्रिम राशि रु.3000/- उनके बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दी जायेगी तथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से फरवरी माह, २०१० तक की जाएगी।

ऐसे कर्मचारी जोकि गत वित्त वर्ष २००८-२००९ में त्यौहार की अग्रिम राशि ले चुके हैं, उनकी अग्रिम राशि की वसूली लेखा अनुभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष २००९-१० में समायोजित कर ली जायेगी।

ऐसे कर्मचारी जो कि उक्त त्यौहार अग्रिम के पात्र है, परन्तु वित्त वर्ष २००९-१० में त्यौहार अग्रिम लेने को इच्छुक नहीं हैं, वे दिनांक २४.०४.२००९ तक लेखा अनुभाग में इसकी सूचना दे सकते हैं।

राकेश कु. सज्जन
उप-कुलसचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

१. निदेशक
२. उप-निदेशक
३. कुलसचिव (प्रशासन)
४. उपकुलसचिव (लेखा एवं वित्त) – आवश्यक कार्यवाही हेतु
५. बैंक मास्टर
६. सूचना पट्ट

आनन्द/-